


## फर्द अहकॉम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा मुकाम सेड़वा  
खेयाली बनाम जगिसा वगैरा

किरम मुकदमा-राजस्व वाद

मुकदमा नम्बर-91/2025

तारीख हुक्म	हुक्मकारवाई मय इनिशियलजज	नम्बर व तारीख अहकॉम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.06.2025	<p>वादी के अधिवक्ता श्री पवन धारीवाल ने यह वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत पेश किया है, जो दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण जरिए सम्मन/नोटिस तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब आईन्दा दिनांक 08.08.2025 को पेश हो।</p>	
07/07/25	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित। वादी स्वयं उपस्थित। वादी वकील ने प्रार्थना पत्र वास्ते पत्रावली पेशी पर लेने वास्ते केश कर निवेदन किया कि अतः अन्तर्गत का प्रकरण न्यायालय में विषयाधीन है, जिसकी भणारी पेशी तारीख 08/08/25 मुहूर्त है। अतः पत्रावली में वादी का प्रतिवादीगण से रजिनामा हो गया है, जिस पर अतः पत्रावली में हम कोई करवाई नहीं चाहते हैं। अतः पत्रावली खब की जाकर पत्रावली जरिए विद्वेन खरिज करमाया जावे। वादी के निवेदन पर पत्रावली पेशी पर भी गई। वादी अतः अन्तर्गत से कोई करवाई नहीं चाहता है। अतः पत्रावली जरिए रजिनामा विद्वे की जाती है। पत्रावली केसल मुमर होकर दायित्व खबर हो ॥</p>	<p style="text-align: right;">नि: 10/7/25</p>  <p style="text-align: right; font-size: 2em;">J.F.</p>

